रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072020-220734
CG-DL-E-30072020-220734

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 28, 2020/श्रावण 6, 1942
No. 366] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 28, 2020/SRAVANA 6, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2020

सा.का.नि.470 (अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 417 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (सभापति, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के कदाचार या अक्षमता के अन्वेषण के लिए प्रक्रिया) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आवेदन की सीमा.- ये नियम राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और तकनीकी सदस्यों तथा अधिनियम के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण के सभापति, न्यायिक सदस्यों और तकनीकी सदस्यों [वित्त अधिनियम, (2017 का 7) के अध्याय-VI के भाग XIV के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त] पर लागू होंगे।

परंतु ये नियम अधिकरण या अपीलीय अधिकरण के सभापति, अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्त उच्च न्यायालय के पदासीन न्यायाधीश पर लागू नहीं होंगे और ऐसा सभापति, अध्यक्ष अथवा सदस्य को संविधान के अनुच्छेद 217 के उपबंध द्वारा तब तक नियंत्रित किया जाता रहेगा, जब तक कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बना रहेगा।

3. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) "अपीलीय अधिकरण" से अधिनियम के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "सभापति" से अधिनियम की धारा 415 के अनुसार सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत सदस्य सहित अपीलीय अधिकरण का सभापति अभिप्रेत है;

(घ) "समिति" से नियम 4 के उपनियम (2) में उल्लिखित समिति अभिप्रेत है;

(ड.) "न्यायाधीश" से जांच कार्य संचालित करने के लिए नियम 5 के उपनियम (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उच्चतम न्यायालय के पदासीन न्यायाधीश अभिप्रेत हैं;

(च) "न्यायिक सदस्य" से अधिनियम के अधीन उसी हैसियत से नियुक्त अधिकरण या अपीलीय अधिकरण अभिप्रेत है;

(छ) "सदस्य" से अधिकरण और अपीलीय अधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है (चाहे वह न्यायिक अथवा तकनीकी हो) और इसमें, यथास्थिति, अपीलीय अधिकरण अथवा अधिकरण के सभापति और अध्यक्ष, भी शामिल होंगे, जैसा भी मामला हो;

(ज) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(झ) "अध्यक्ष" से अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है जिसमें अधिनियम की धारा 415 के अनुसार, कार्य करने के लिए प्राधिकृत सदस्य अथवा अध्यक्ष शामिल हैं;

(ञ) "तकनीकी सदस्य" से अधिनियम के अधीन उसी हैसियत से नियुक्त अधिकरण या अपीलीय अधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है;

(ट) "अधिकरण" से अधिनियम के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

4. शिकायत अन्वेषण समिति.-

(1) केंद्रीय सरकार, किसी सदस्य के संबंध में उसके पद से संबंधित कार्यों को निष्पादित करने के लिए उसके विरूद्ध कदाचार या अक्षमता के कोई भी निर्धारित आरोप लिखित शिकायत के रूप में प्राप्त करने के बाद ऐसी शिकायत की प्रारंभिक सूक्ष्म जांच करेगी।

(2) केंद्रीय सरकार, संबंधित आरोप का अन्वेषण करने के लिए आवश्यक समझी गई प्रारंभिक सूक्ष्म जांच के पश्चात् वह इस मामले को शिकायत में दिए गए आरोपों की जांच करने हेतु निम्निलिखित अधिकारियों से बनी समिति के समक्ष सहायक सामग्री सहित शिकायत को प्रस्तुत करेगी, अर्थात्:-

(i) मंत्रिमंडल सचिव	-	अध्यक्ष, पदेन
(ii) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय	-	सदस्य, पदेन
(iii) सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय	-	सदस्य, पदेन

(3) समिति जांच के संबंध में अपनी स्वयं की प्रक्रिया और पद्धति को अपनाएगी जिसमें शिकायत के साक्ष्य के अभिलेखन सहित जांच से संबंधित सामग्री का संग्रह भी शामिल होगा।

(4) समिति इस निमित्त अपनी जांच के सार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यथाशीघ्र भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

5. जांच कार्य संचालित करने के लिए न्यायाधीश.- (1) यदि भारत के राष्ट्रपति की राय है कि किसी सदस्य के कदाचार या अक्षमता संबंधी किसी अभ्यारोपण की सच्चाई की जांच करने के लिए युक्तिसंगत आधार हैं तो वह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को निर्देश देकर जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को नामनिर्दिष्ट करने का अनुरोध करेगा।

(2) भारत का राष्ट्रपति, आदेश द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जांच करने के प्रयोजन से नियुक्त करेगा।

(3) उप-नियम (2) के अधीन एक न्यायाधीश की नियुक्ति की सूचना संबंधित सदस्य को दी जाएगी।

(4) भारत का राष्ट्रपति, न्यायाधीश को निम्नलिखित की एक प्रति अग्रेषित करेगा:

(क) संबंधित सदस्य के विरूद्ध आरोप की मदें और अभ्यारोपण का विवरण;

(ख) गवाहों के बयान, यदि कोई हो; और

(ग) जांच के लिए सुसंगत महत्वपूर्ण दस्तावेज़।

(5) उप-नियम (2) के अधीन नियुक्त न्यायाधीश उस समय या बढ़े हुए समय के भीतर जांच पूरा करेगा जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(6) संबंधित सदस्य को इस निमित्त न्यायाधीश द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर बचाव संबंधी लिखित विवरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

(7) जहां यह आरोप लगाया जाता है कि संबंधित सदस्य किसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण अपने पद के दायित्व का निर्वहन कुशलतापूर्वक करने में असमर्थ है और इस प्रकार के आरोप से इंकार किया जाता है तो वहां न्यायाधीश ऐसे चिकित्सा बोर्ड द्वारा सदस्य की चिकित्सीय परीक्षा की व्यवस्था कर सकता है जो इस प्रयोजन के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाए और संबंधित सदस्य, इस निमित्त न्यायाधीश द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर स्वयं को चिकित्सीय परीक्षा के लिए उपस्थित करेगा।

(8) चिकित्सा बोर्ड, सदस्य की ऐसी चिकित्सा परीक्षा करेगा जो आवश्यक समझी जाए और न्यायाधीश को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा कि क्या अक्षमता ऐसी है कि सदस्य पद पर बने रहने के योग्य नहीं है।

(9) यदि सदस्य चिकित्सा बोर्ड द्वारा आवश्यक समझी गई चिकित्सा परीक्षा करवाने से मना कर देता है, तो बोर्ड न्यायाधीश को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें सदस्य द्वारा करवाने से मना की गई परीक्षा का उल्लेख किया जाएगा और न्यायाधीश ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपधारणा बनाएगा कि सदस्य ऐसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता से पीड़ित है जो शिकायत में अभ्यारोपित की गई है।

(10) न्यायाधीश, सदस्य के लिखित बयान और चिकित्सा रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् उप-नियम (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट आरोपों में संशोधन करेगा और ऐसे मामले में सदस्य को अपने बचाव में नए सिरे से लिखित बयान देने का अवसर दिया जाएगा।

(11) केंद्रीय सरकार, सदस्य के विरूद्ध मामले को प्रस्तुत करने के लिए एक अधिकारी या अधिवक्ता की नियुक्ति करेगी।

(12) जहां केंद्रीय सरकार ने न्यायाधीश के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए किसी अधिवक्ता की नियुक्ति की हो, वहां संबंधित सदस्य को उसके पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए उसके द्वारा चुने गए अधिवक्ता को अनुमति दी जाएगी।

6. इन नियमों के अधीन जांच के लिए विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर कराना तथा दस्तावेज पेश कराना) अधिनियम, 1972 का लागू होना.- विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर कराना और दस्तावेज पेश कराना) अधिनियम, 1972 (1972 का 18) के उपबंध इन नियमों के अधीन की जाने वाली जाँचों पर लागू होंगे जैसे वे विभागीय जांचों पर लागू होते हैं।

IndiaCode

7. न्यायाधीश की शक्ति.- न्यायाधीश, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा अधिकथित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगा परंतु प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से मार्गदर्शित होगा तथा उसे जांच के स्थान और समय को नियत करने सहित अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त होगी।

8. सदस्य का निलंबन.- नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी और उक्त नियम के अनुसार की जाने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अधिकरण के ऐसे सदस्य को निलंबित कर सकती है जिसके विरूद्ध उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को निर्देश दिया गया है जिस पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से रिपोर्ट प्राप्त होने पर केंद्रीय सरकार ने आदेश पारित न किया हो।

9. निर्वाह भत्ता.- किसी निलंबित सदस्य को निर्वाह भत्ते के भुगतान का विनियमन, समरूपी स्तर के सरकारी सेवक पर कुछ समय के लिए लागू नियमों और आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

10. जांच रिपोर्ट.- जांच पूरी होने के पश्चात् न्यायाधीश अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा जिसमें निष्कर्ष और आरोप की प्रत्येक मद के लिए अलग-अलग उसके कारण दिए होंगे जिसमें पूरे मामले के बारे में ऐसी समुक्तियाँ दी गई होंगी जिन्हें उसने उचित समझा हो।

[फा.सं.ए-45011/70/2018-प्रशा.IV]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2020

G.S.R. 470(E).—In exercise of the powers conferred by section 469, read with sub-section (4) of the section 417 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the National Company Law Tribunal and National Company Law Appellate Tribunal (Procedure for investigation of misbehavior or incapacity of Chairperson, President and other Members) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Extent of application.- These rules shall be applicable to the President, Judicial Member and Technical Members of the National Company Law Tribunal and Chairperson, Judicial Members and Technical Members [appointed before the commencement of Part XIV of Chapter VI of the Finance Act, (7 of 2017)] of the National Company Law Appellate Tribunal established under the Act.

Provided that these rules shall not apply to sitting judge of the High Court appointed as Chairperson, President or Member of the Tribunal or Appellate Tribunal and such Chairperson, President or Member would continue to be governed by the provision of article 217 of the Constitution till he would have held the office of Judge of the High Court.

3. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) "Appellate Tribunal" means the National Company Law Appellate Tribunal established under the Act;

(c)"Chairperson" means the Chairperson of the Appellate Tribunal and includes a Member authorised to act as the Chairperson in accordance with section 415 of the Act.

(d)"Committee" means the Committee referred to in sub-rule(2) of rule 4;

(e)" Judge" means a sitting Judge of the Supreme Court appointed by the President of India under sub-rule (2) of rule 5 to conduct the inquiry;

(f)"Judicial Member" means a Member of Tribunal or Appellate Tribunal appointed as such under the Act ;

(g)"Member" means a Member (whether Judicial or Technical) of the Tribunal and Appellate Tribunal and includes Chairperson and President of the Appellate Tribunal or Tribunal as the case may be;

(h) "section" means a section of the Act;

(i) "President" means the President of Tribunal and includes a Member authorised to act or the President in accordance with section 415 of the Act;

(j)"Technical Member" means a member of the Tribunal or Appellate Tribunal appointed as such under the Act.

(k)"Tribunal" means the National Company Law Tribunal established under the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

4. **Committee for investigation of complaints. –**

(1) The Central Government shall, after receipt of written complaint, alleging any definite charges of misbehavior or incapacity to perform the functions of the office in respect of a Member, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(2) The Central Government after Preliminary scrutiny considers necessary to investigate into the allegation, it shall place the complaint together with supporting material as may be available, before a Committee consisting of the following officers, to investigate the charges of allegations made in the complaint; namely:-

(i)	Cabinet Secretary	-Chairman; ex-officio
(ii)	Secretary, Ministry of Corporate Affairs	-Member; ex-officio
(iii)	Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice	-Member, ex-officio

(3) The Committee shall devise its own procedure and method of investigation which may include recording of evidence of the complainant and collection of material relevant to the inquiry.

(4) The Committee shall submit its findings to the President of India as early as possible within a period that may be specified by the President of India in this behalf.

5. Judge to conduct inquiry. - (1) If the President of India is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any imputation of misbehavior or incapacity of a Member, it shall make a reference to the Chief Justice of India requesting him to nominate a Judge of the Supreme Court to conduct such inquiry.

(2) The President of India shall, by order, appoint the Judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice of India for the purpose of conducting the inquiry.

(3) The notice of appointment of a Judge under sub-rule (2) shall be given to the Member concerned.

(4) The President of India shall forward to the Judge a copy of-

(a) the articles of charges against the Member concerned and the statement of imputations;

(b) the statement of witnesses, if any; and

(c) the material documents relevant to the inquiry.

(5) The Judge appointed under sub-rule (2) shall complete the inquiry within such time of further time as may be specified by the President of India.

(6) The Member concerned shall be given an opportunity of presenting a written statement of defense within such time as may be specified in this behalf by the Judge.

(7) Where it is alleged that the Member concerned is unable to discharge the duties of his office efficiently due to any physical or mental incapacity and the allegation is denied, the Judge may arrange for the medical examination of the Member by such Medical Board as may be appointed for the purpose by the President of India and the Member concerned shall present himself to such medical examination within the time specified in this behalf by the Judge.

(8) The Medical Board shall undertake such medical examination of the Member as may be considered necessary and submit a report to the Judge stating therein whether the incapacity is such as to render the Member unfit to continue in office.

(9) If the Member refuses to undergo such medical examination as considered necessary by the Medical Board, the Board shall submit a report to the Judge stating therein the examination which the Member has refused to

undergo, and the Judge may, on receipt of such report, presume that the Member suffers from such physical or mental incapacity as is alleged in the complaint.

(10) The Judge may, after considering the written statement of the Member and the Medical Report, if any, amend the charges referred to in clause (a) of sub rule (5) and in such a case, the Member shall be given an opportunity of presenting a fresh written statement of defence.

(11) The Central Government shall appoint an officer or an advocate to present the case against the Member.

(12) Where the Central Government has appointed an advocate to present its case before the Judge, the Member concerned shall also be allowed to present his case by an advocate chosen by him.

6. Application of the Departmental Inquiries (Enforcement of Witness and Production of Documents) Act, 1972 to inquiries under these rules.- The provisions of the Departmental Inquiries (Enforcement of witness and Production of Documents), Act, 1972 (18 of 1972), shall apply to the inquires made under these rules as they apply to departmental inquires.

7. Powers of Judge.- The Judge shall not be bound by the procedure to be laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate his own procedure including the fixing of places and times of his inquiry.

8. **Suspension of Member.-** Notwithstanding anything contained in rule 4 and without prejudice to any action being taken in accordance with the said rule, the Central Government may, with the concurrence of Chief Justice of India, keeping in view the gravity of charges, suspend the Member of the Tribunal against whom reference has been made to the Judge of the Supreme Court until the Central Government has passed orders on receipt of the report of the Judge of the Supreme Court.

9. Subsistence allowance. – The payment of subsistence allowance to a Member under suspension shall be regulated in accordance with the rules and orders for the time being applicable to a Government servant of the corresponding level.

10. Inquiry Report. - After the conclusion of the investigation, the Judge shall submit his report to the President of India stating therein his findings and the reasons therefor on each of the articles of charges separately with such observations on the whole case as he thinks fit.

IndiaCode

[F.No. A-45011/70/2018- Ad.IV]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2020.07.30 12:05:31 +05'30'